न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद सं.– 5/22

मूलदास पुत्र गणपतदास जाति स्वामी निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
वादी

बनाम

1. पनदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

सीताराम पुत्र गणपतदास जाति स्वामी निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
गौण प्रतिवादी

राजस्व वाद घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन व चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादी
2. श्री गौतम सैनी एडवोकेट– वकील प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादी

–: निर्णय :– दिनांक:– 03/06/22

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि खेत खसरा संख्या 181 एक सौ ईकयासी तादादी 0.7082 जीरो दशमलव सात जीरो आठ दौ हेक्टेयर, खसरा संख्या 479/210 चार सौ उनयासी बट्टा दौ सौ दस तादादी 3.6928 तीन दशमलव छः नौ दौ आठ हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी व गौण प्रतिवादी प्रत्येक का 1/2 एक बट्टा दौ हिस्सा है। वर्तमान खसरा संख्या 479/210 का मूल खसरा संख्या 210 था। आज से कई वर्ष पूर्व जब वादी, गौण प्रतिवादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने मूल खसरा संख्या 210 का विभाजन किया था तो उस समय खसरा संख्या 210 के दक्षिणी साईड की 1/2 हिस्सा भूमि वादी, गौण प्रतिवादी के संयुक्त नाम से ब.हि.ब. रखी व उतरी साईड की 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पनदास के हिस्सा पांति में सहमति से रखी गई। इसी प्रकार खसरा संख्या 181 तादादी 0.7082 हेक्टेयर की दक्षिणी साईड की 1/2 हिस्सा भूमि वादी, गौण प्रतिवादी के संयुक्त नाम से ब.हि.ब. रखी व उतरी साईड की 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पनदास के हिस्सा पांति में सहमति से रखी गई। इसी प्रकार से हम पक्षकारों का वर्तमान में मौका पर कब्जा काश्त है। लेकिन बंटवारा करते समय सहवन से मूल खसरा संख्या 210 तादादी 8.1064 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 4.4136 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पनदास के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज कर दी व इसी खसरे की दक्षिणी साईड की 3.6928 हेक्टेयर भूमि वादी व गौण प्रतिवादी के संयुक्त नाम से ब.हि.ब. दर्ज कर दी तथा खसरा संख्या 181 तादादी 0.7082 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण वादी व गौण प्रतिवादी के संयुक्त नाम से ब.हि.ब. दर्ज कर दी। जबकि हमारे बताये अनुसार व कब्जा काश्त अनुसार मूल खसरा संख्या 210 व 181 की उतरी साईड की 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

पनदास के नाम से अलग खातेदारी में व इन दोनों खसरों की दक्षिणी साईड की 1/2 हिस्सा भूमि वादी व गौण प्रतिवादी के संयुक्त नाम से ब.हि.ब.अलग खातेदारी में दर्ज करनी थी। लेकिन हल्का पटवारी की गलती से गलत रूप से विभाजन कर दिया गया। वर्तमान में मूल खसरा संख्या 210 तादादी 8.1064 हेक्टेयर की उतरी साईड की 1/2 हिस्सा भूमि व खसरा संख्या 181 तादादी 0.7082 हेक्टेयर भूमि की उतरी साईड की 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पनदास के कब्जा काश्त मे है तथा इन दोनों खसरों की दक्षिणी साईड की 1/2 हिस्सा भूमि वादी व गौण प्रतिवादी के कब्जा काश्त में है। इसी प्रकार से वादीं वादगत भूमि के राजस्व रेकार्ड व अक्स में संशोधन करवाना चाहता है। वादी ने दिनांक 25.02.2022 को वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार वादगत भूमि के राजस्व रेकार्ड व अक्स में संशोधन करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कब्ज़ा काश्त अनुसार राजस्व रेकार्ड व अक्स में संशोधन करवाने से इनकार कर दिया ओर वादी को ऐलानियां तौर पर धमकिय्रां दी की वो राजस्व रेकार्ड में संशोधन नहीं करवायेगा ओर प्रतिवादी संख्या 1 अपने कब्जा काश्त की भूमि को किसी अन्य को विक्रय करेगा। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी खातेदारी भूमि को किसी अन्य को विक्रय कर देगा तो वादी के कब्जा काश्त में दखल होगा। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जा काश्त की कुछ भूमि वादी व गौण प्रतिवादी के हिस्सा पांति में आ रही है। इस कारण वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो जरीये न्यायालय अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकार्ड व अक्स में संशोधन करवायें। राजस्व रेकार्ड व अक्स को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ओर प्रतिवादीगण को जरीये चिर निषेधाज्ञा की डिग्री से पाबंद किया जावे कि वोह वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी ना करें। वादी को वादगत भूमि की जमाबंदी व नक्शा की आवश्यकता होने पर जब पटवारी हल्का से जमाबंदी व नक्शा की प्रमाणित प्रति दिनांक 25.02.2022 को प्राप्त की तब वादी को वादगत भूमि की जमाबंदी व नक्शा को देखने पर पता चला की वर्तमान मौका कब्जा काश्त अनुसार जमाबंदी व नक्शा नहीं है। पटवारी ने अपने स्तर पर संशोधन करने से इनकार कर दिया। इससे पूर्व वादी को गलत जमाबंदी व नक्शा की जानकारी नहीं थी। कृषि भूमि की मालिक राजस्थान सरकार है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादगण द्वारा वादी को ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है इसलिए राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है इसलिए वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वादगत खेत वादी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद राजस्व रेकार्ड व एक्स में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद पत्र की सुनवाई करने का

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जायेगें। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादी ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष ने राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादी की पहचान श्री गौतम सैनी एडवोकेट द्वारा की गई। पेरोकार राज ने कई अवसर देने के बाद भी जवाब नहीं दिया। इस कारण पेरोकार राज का जवाब बंद किया गया। वकुलान की बहस सुनी गई। वकुलान ने राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पक्षकारों द्वारा पेश राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारों ने राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री करने का निवेदन किया है। पक्षकारों का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वाद को राजीनामा अनुसार इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सारंगसर के खसरा संख्या 181 तांदादी 0.7082 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 0.3541 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 478/210 तादादी 4.4136 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 4.0532 हेक्टेयर भूमि पनदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी निवासी सारंगसर के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज करने तथा खसरा संख्या 181 तादादी 0.7082 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 0.3541 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 478/210 तादादी 4.4136 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 0.3604 हेक्टेयर भूमि मूलदास, सीताराम पुत्रगण गणपतदास जाति स्वामी निवासी सारंगसर के नाम ब.हि.ब. अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खसरा संख्या 479/210 की भूमि का अंकन यथावत रखा जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें। निर्णय आज दिनांक 03/06/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

सत्यमेव जयते
बीदासर जिला–चूरू

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री श्यौराम वर्मा, आर.ए.एस.

मूलदास बनाम पनदास आदि

मु.न.- 5/22

दावा बाबत – घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन बाबत।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते मुद्दई व श्री गौतम सैनी वकील वास्ते मुद्दायलाई संख्या 1 व गौण मुद्दायलाई मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व इस प्रकार अन्तिम डिक्री की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सारंगसर के खसरा संख्या 181 तादादी 0.7082 हेक्टेयर मे से उतरी साईड की 0.3541 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 478/210 तादादी 4.4136 हेक्टेयर मे से उतरी साईड की 4.0532 हेक्टेयर भूमि पनदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी निवासी सारंगसर के नाम से अलग खातेदारी मे दर्ज करने तथा खसरा संख्या 181 तादादी 0.7082 हेक्टेयर मे से दक्षिणी साईड की 0.3541 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 478/210 तादादी 4.4136 हेक्टेयर मे से दक्षिणी साईड की 0.3604 हेक्टेयर भूमि मूलदास, सीताराम पुत्रगण गणपतदास जाति स्वामी निवासी सारंगसर के नाम ब हिस्सा अलग खातेदारी मे दर्ज कर लगान का विभाजन करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खसरा संख्या 479/210 की भूमि का अंकन यथावत रखा जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

चीज.................मुबलिग.................बाबत.................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक 0.................को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03-06-22

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर

मुद्दई	रुपया	पै	मुद्दायलाई	रुपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमि नर		
फीस कमि नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner